न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील भरण पोषण प्रकरण संख्या 04/2021.(GCMS : 2021/129)

गुरदीप कौर पत्नी स्व. मान सिंह जाति जटसिख उम्र 62 वर्ष निवासी चक 8 वाई मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर

—— **अपीलार्थी**

बनाम

1. बलकार सिंह पुत्र स्व. मान सिंह जाति जटसिख निवासी चक 8 वाई मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. पुष्पेन्द्र कौर पत्नी बलकार सिंह जाति जटसिख निवासी चक 8 वाई मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर

—— **रेस्पोडेंट**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

16.05.2022

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी गुरदीप कौर एवं रेस्पोडेंट बलकार सिंह पूर्व में स्वयं उपस्थित हुए। उपभयपक्ष की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। रेस्पोडेंट संख्या 2 पुष्पेन्द्र कौर उपस्थित नहीं हुई।

अपीलार्थी गुरदीप कौर कथन किया कि अपीलांटा वृद्ध व विधवा औरत है। रेस्पोडेंट संख्या 1उसका पुत्र व 2 उसकी पुत्रवधु है जो अपीलांटा को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं अपीलांटा के पेट में पत्थर होने बावजूद भी घर का सारा काम अपीलांटा से करवाते है। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 दोनो राजकीय सेवा में है, सुबस काम पर चले जाते है, शाम को आते है, और उसे बुरी तरह से प्रताड़ित करते है।

उनका आगे कथन था कि अपीलांटा के पति के नाम मुरब्बा नम्बर 12 व 13 में 25 बीघा जमीन थी, उनका 01.01.2006 को देहान्त हो गया उनके नाम से एक रिहायशी मकान 8 वाई मोहनपुरा में 100 गुणा 150 फुट पक्का तामीरशुदा है, जिसमें रेस्पोडेन्टान नि... रहे थे।

उनका आगे कथन था कि अपीलांटा के बीमार होने पर कोई दवाई नहीं दिलाते, जो पेन्शन मिलती है वह सारी पेन्शन जबरदस्ती ले लेते है जो अपीलांटा के खाता मे पेन्शन है उसके चैक सारे बलकार सिंह के पास पड़े है उन चैको से सारी राशि निकलवा लेते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:25:41 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे कथन था कि रेस्पोडेंट संख्या 01 यूडीसी के पद पर कार्यरत है जिसकी 50 हजार रूपये तन्ख्वाह है । रेस्पोडेंट संख्या 2 पुष्पेन्द्र कौर ओरन इन्टरनेशनल स्कूल ऑफ ब्यूटी एण्ड वैलनैंस संचालित करती है, जिसकी वह मालिक है, 50 हजार रूपये कमाती है। अपीलांट के पति की सारी 25 बीघा जमीन मुगालते में रखकर रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपने नाम करवा ली उसके बाद अपीलांट के अधिकारों को डिफीट करने के लिए अपनी पत्नी रेस्पोडेंट संख्या 2 के नाम गिफ्ट डीड करवा ली। भूमि का ठेका 20 हजार रूपये बीघा है गांव में पक्का मकान बना हुआ है जिसकी कीमत 15 लाख रूपये है।

उनका आगे कथन था कि दिनांक 07.07.2019 को रेस्पोडेंट ने मारपीट करके अपीलांटा को घर से बाहर निकाल दिया। अपीलांटा के पास आय का कोई स्त्रोत नहीं है जो पेन्शन मिलती है वह पेन्शन आते ही चैक से निकलवा लेता है। इसलिए अपीलांटा को मकान चक 8 वाई मोहनपुरा में रहने के लिए दिलाया जावे व जो रेस्पोडन्टान के नाम से मुगालाते में रखकर भूमि अपने नाम करवाई है, वह भी वापिस दिलवायी जावे।

उनका आगे कथन था कि उक्त भूमि चक 8 वाई मोहनपुरा मुरब्बा नम्बर 12 व 13 में अपीलांटा व उसकी दो लड़कियों व एक पुत्र चार वारिस थे जिसमें रेस्पोडेंट संख्य 01 का चौथा हिस्सा था, रेस्पोडेंट संख्या 01 ने मुगालता में रखकर दोनों बहनों व माता के नाम से दिनांक 17.04.2007 को दस्तबरदारी करवाकर जमीन अपने नाम करवाकर हड़प ली।

उनका आगे कथन था कि अपीलांटा की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.07.2021 निरस्त फरमाया जाकर अपीलांटा को [illegible] पोषण के लिए 50,000/– रूपये व उसके हिस्से की भूमि [illegible] बीघा [illegible] बिस्वा उसकी पुत्रियों की 6 बीघा 5 बिस्वा – 6 बीघा 5 बिस्वा [illegible] कुल 18 बीघा 15 बिस्वा भूमि अपीलांटा व अपीलांटा की पुत्रियों को वापि[illegible] दिलाये जाने व उनके नाम इन्तकाल करने की प्रार्थना की हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:25:41 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

इसके विपरीत रेस्पोडेंट बलकार सिंह ने कथन किया कि अपीलार्थिया पेंशनभोगी है एवं राजस्थान सरकार से प्रत्येक माह पेंशन राशि प्राप्त कर रही है। अधिनियम की धारा 4(1) के अनुसार "कोई भी वरिष्ठ नागरिक जिसके अन्तर्गत माता–पिता जो स्वयं के अर्जन से या स्वामित्वाधीन सम्पत्ति में से भरण पोषण करने में असमर्थ है वह ही भरण पोषण अपने बालको से प्राप्त करने की अधिकारिता रखते है जबकि अपीलार्थिया सरकार से प्रत्येक माह 15000/– पेंशन राशि प्राप्त कर रही है एवं अपने भरण पोषण करने में सक्षम है।

उनका आगे कथन था कि अपीलार्थिया चक 8 वाई मोहनपुरा के मकान में अपनी सुविधानुसार जैसी उसकी स्वयं की इच्छा हो उनकी रहने के लिए प्रत्यार्थीगण उक्त मकान में व्यवस्था करने को तैयार है इसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं होगी बल्कि अपीलार्थीगण बिना किसी कारण के उक्त मकान में निवास करना नहीं चाहती है एवं रिश्तेदारों के बहकावे में आकर अनावश्यक रूप से प्रत्यर्थीगण को मुकदमेंबाजी करके परेशान करना चाहती है। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 अपीलार्थी का एक मात्र पुत्र व पुत्रवधु है एवं हमेशा अपीलार्थियां की सेवा इत्यादित करने को तैयार हैं

उनका आगे कथन था कि अपीलार्थिया एंव उनकी दोनों पुत्रियों ने दिनांक 17.04.2007 को प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम कुछ कृषि भूमि की दस्तबरदारी प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम से करवा दी थी एवं उक्त भूमि प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में भी 2007 से ही दर्ज है। जिसको विधिनुसार अपीलार्थिया प्राप्त करने की अधिकारी नही है। उक्त प्रकरण में दस्तबरदारी दिनांक 17.04.2007 को पंजीबद्ध हुई थी एवं इस दस्बरदारी पर उक्त अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है। उक्त अपील में अपीलार्थिया के द्वारा कृषि भूमि [illegible] वापस दिलवाये जाने की मांग की गई है यह उक्त विधि के अन्तर्गत अनुमत नहीं हैं

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:25:41 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे कथन था कि प्रत्यर्थी संख्या 1 के पिता का देहान्त वर्ष 2006 में हुआ था एवं गांव मोहनपुरा में एक मकान है जो कि प्रत्यर्थी के पिता एवं अपीलार्थियां के पति के नाम से है। प्रत्यर्थी के पिता के देहान्त के उपरान्त उक्त मकान में प्रत्यर्थीगण एवं अपीलार्थिया निवास कर रहे है एवं बराबर के हिस्सेदार है परन्तु कुछ समय पूर्व अपीलार्थिया अपनी इच्छा से अपनी पुत्री के पास निवास कर रही है। उक्त अधिनियम 2007 में प्रावधान है कि अपीलार्थिया उक्त मकान में निवास कर सकती है परन्तु अपने पुत्र को उक्त मकान से बेदखल नहीं करवा सकती है। जिसके समर्थन में रेस्पोडेंट ने माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर की रिट पैटशीन संख्या 1936/2022 अनवान विनोद शर्मा बनाम श्रीमती शांति देवी आदि में दिनांक 21.02.2022 को पारित निर्णय की प्रति पेश की है। फिर भी यदि अपीलार्थिया उक्त मकान मे विधिवत् बंटवारा करवाना चाहती है तो वह सिविल न्यायालय में बंटवारे का दावा कर अपना विशिष्ट हिस्सा प्राप्त कर सकती है।

उनका आगे कथन था कि उक्त प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या 1 की धर्मपत्नी प्रत्यर्थी संख्या 2 को भी पक्षकार बनाया है और पुत्रवधु संतान की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है इसलिए इस अधिनियम के तहत अपीलार्थियां रेस्पोडेंट से कोई भी राहत प्राप्त नहीं कर सकती ।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थिया गुरदीप कौर ने रेस्पोडेंट संख्या 01 बलकार सिंह – पुत्र एवं रेस्पोडेंट संख्या 02– पुपेन्द्र कौर – पुत्रवधु के विरूद्ध अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और [illegible] धारा 4 व के तहत एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन कि[illegible]या कि प्रार्थिया वृद्ध एवं विधवा औरत है। अप्रार्थीगण उसको मानसिक [illegible] रूप से परेशान करवाते है। अप्रार्थीगण सुबह अपने काम से चल[illegible]जाते है और शाम को आते है सारा काम प्रार्थिया को ही करना पडता हे। प्रार्थिया के पति मान सिंह की मृत्यु

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:25:41 IST
Reason: SelfAttested

01.01.2006 को होने के बाद, उनके नाम 25 बीघा कृषि भूमि को अप्रार्थी बलकार सिंह ने अपने नाम करवा ली और एक रिहायशी मकान गांव 8 वाई मोहनुपरा में साईज 100 गुणा 150 फीट पक्का तामीर शुदा जिसमें अप्रार्थीगण निवास कर रहे है। अप्रार्थीगण, प्रार्थिया की किसी प्रकार से सेवा नहीं कर रहे है। प्रार्थिया की पेन्शन भी अप्रार्थीगण जबरदस्ती छीन लेते है और उक्त कृषि भूमि का जो भी ठेका आता है उसे भी अप्रार्थीगण खुद की ले लेते है। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की 50,000/— — 50,000/— रूपये मासिक आय है तथा कृषि भूमि का ठेका 20,000/— प्रति बीघा है इस प्रकार अप्रार्थी गण करीब 2,00,000/— रूपये प्रतिमाह आय है। अपीलार्थिया ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसका प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर 50,000/— रूपये प्रतिमाह जीवन निर्वाह भत्त राशि अप्रार्थीगण से दिलवाने तथा प्रार्थिया का मकान चक 8 वाई व चक 8 वाई मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगागनर में मुरब्बा नं. 12 व 13 में 25 बीघा नहरी कृषि भूमि व शहर श्रीगंगानगर में रिहायशी मकान दिलवाने की प्रार्थना की है।

मैनें, उभयपक्ष की बहस पर मनन किया और **पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि** प्रार्थीगण ने माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 अन्तर्गत धारा 4 व 5 के अन्तर्गत उक्त प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष पेश हुआ जिसमें उनके द्वारा दिनांक 19.07.2021 को निर्णय पारित निम्नानुसार आदेश दिया गया :

> प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण को सुना गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं अप्रार्थी के जवाब का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण का प्रार्थी[illegible] के [illegible]रण पोषण का नैतिक दायित्व है। अ[illegible] कथन अनुसार अप्रार्थी का मकान चक 8वाई [illegible]हनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर में है और प्रार्थीया इस मकान में अपने सुविधा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:25:41 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अनुसार जैसी उसकी इच्छा हो, उस प्रकार रहने के लिए अप्रार्थीगण उस मकान में प्रार्थिया की व्यवस्था करने को तैयार है। अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन करने पर प्रार्थीया को मृत राज्य कर्मचारी की आश्रित विधवा पेंशन प्राप्त किया जाना पाया गया और यह पेंशन सीधे उसके बैंक खाते में जमा होती है। ऐसी परिस्थितियों में प्रार्थीया अपने जीवन निर्वाह हेतु आवश्यक वस्तुत के उपभोग एवं अपना भरण पोषण करने में सक्षम है। अप्रार्थीगण का प्रार्थिया के भरण पोषण का नैतिक दायित्व है अतः अप्रार्थीगण प्रार्थिया के सामान्य जीवन निर्वाह में कोई बाधा उत्पन्न न करें। प्रार्थी को तंग एवं परेशान करने से निषेध रहे।

-sd-
(उम्मेद सिंह रतनू)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के उक्त निर्णय दिनांक 19.07.2021 की अप्रसन्नता से अपीलार्थी ने माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 16 के तहत प्रकरण प्रस्तुत किया है और अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 19.07.2021 को अपास्त कर **अपीलार्थिया को 50,000/— रूपये प्रतिमाह भरण पोषण के एवं उसके हिस्से की भूमि 6 बीघा 5 बिस्वा व उसकी पुत्रियों की 6 बीघा 5 बिस्वा — 6 बीघा 5 बिस्वा भूमि कुल 18 बीघा 15 बिस्वा भूमि अपीलांटा व** अपीलांटा की पुत्रियों को वापिस दिलाये जाने व उनके नाम इन्तकाल करने की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:25:41 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 2(क)(ख) निम्न प्रकार से अवलोकनीय है:

> **2(क) "सन्तान" के अन्तर्गत पुत्र, पुत्री, पौत्र और पौत्री सम्मिलित है किन्तु अव्यस्क सम्मिलित नहीं है।**
>
> **2(ख) "भरण पोषण" के अन्तर्गत भोजन, कपड़े निवास और चिकित्सीय परिचर्या और इलाज हेतु व्यवस्था सम्मिलित है,**

माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 2(क) के अनुसार **पुत्रवधु सन्तान की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है इसलिए पुष्पेन्द्र कौर अप्रार्थी संख्या 2 –पुत्रवधु है इसलिए अपीलार्थिया अप्रार्थी संख्या 2 से किसी प्रकार के अनुतोष की मांग नहीं कर सकते है।**

जहां तक अपीलार्थिया का कथन था कि चक 8 वाई मोहनपुरा मुरब्बा नम्बर 12 व 13 में 25 बीघा भूमि अपीलांटा व उसकी दो लड़कियों व एक पुत्र चार वारिस थे जिसमें रेस्पोडेंट संख्या 1 का चौथा हिस्सा था। शेष तीन हिस्से अपीलार्थियां को उसकी दोनों पुत्रियों को दिलाये जाने का प्रश्न है, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007 के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई सम्पत्ति का अन्तरण भरण पोषण की शर्त के अधीन किया जाता है तो भरण पोषण न करने की सूरत में ऐसा अन्तरण शून्य हो सकता है। जिसके सम्बन्ध में माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007 की धारा 23(1) निम्नानुसार अवलोकनीय है :

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:25:41 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

23. कुछ परिस्थितियों में सम्पत्ति का अन्तरण शून्य होगा : (1) जहाँ किसी वरिष्ठ नागरिक ने, जिसने इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात दान द्वारा या अन्यथा अपनी सम्पत्ति का अन्तरण इस शर्त के अधीन किया है कि अन्तरिती अन्तरक को मूलभूत सुविधाओं और मूलभूत शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा और ऐसा अन्तरिती ऐसी सुविधाओं और शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने से इन्कार करता है या असफल रहता है, वहाँ सम्पत्ति इस प्रकार उक्त अन्तरण कपट या प्रपीड़न द्वारा असम्यक् असर के अधीन किया गया माना जाएगा और अन्तरक के अधीन किया गया माना जाएगा और अन्तरक की वांछा पर अधिकरण द्वारा शून्य घोषित किया जाएगा।

विचाराधीन प्रकरण में दस्तबरदारी दिनांक 17.04.2007 को पंजीबद्ध हुई है जो माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007 के लागू होने से पहले हुई है और दस्तबरदारी में किसी प्रकार की शर्त के अधीन नहीं हुई है **इसलिए बलकार सिंह की मुरब्बा नं. 12 व 13 की कुल 25 बीघा कृषि भूमि के अन्तरण को शून्य घोषित नहीं किया जा सकता।**

चूंकि अपीलार्थिया गुरदीप कौर, स्व. मान सिंह की पत्नी है जो राजस्थान सरकारी कर्मचारी थे **इसलिए अपीलार्थिया गुरदीप कौर को परिवार पेंशन प्राप्त होती है इसलिए वे अप्रार्थीगण से किसी प्राकर की भरण पोषण राशि प्राप्त करने की हकदार नहीं है।**

जहां तक अपीलार्थिया के मकान चक 8 वाई मोहनपुरा में रहने के दिलाये जाने का प्रश्न है, उक्त मकान वर्तमान में स्व. मान सिंह के नाम से है और जो उन्हें अपने पिता महेन्द्र सिं[illegible] हुआ है **अर्थात मकान चक 8 वाई मोहनुपरा स्व. मान सिंह की पैतृक [illegible] जिसके चार वारिस है** तथा उक्त विवादित पैतृक मकान पर सभी चारों वारिसों का बराबर–बराबर हिस्सा अर्थात समस्त वारिसों का एक चौथाई–एक चौथाई हिस्सा बनता है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:25:41 IST
Reason: SelfAttested

उक्त मकान में वर्तमान में प्रार्थिया गुरदीप कौर एवं अप्रार्थी बलकार सिंह का परिवार निवास कर रहे है। **उक्त विवादित मकान चक 8 वाई मोहनपुरा अपीलार्थी के पति स्व. मान सिंह के नाम है और उक्त मकान उनका स्व: अर्जित सम्पत्ति न होकर पैतृक सम्पत्ति है इसलिए उक्त मकान अपीलार्थिया गुरदीप कौर के नाम नहीं किया जा सकता।** इसलिए अप्रार्थी बलकार सिंह को आदेशित किया जाता है कि वे उक्त विवादित मकान चक 8 वाई मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के अपने हिस्से का एक चौथाई हिस्से पर निवास करें और शेष तीन चौथाई हिस्सा को जिन पर अपीलार्थिया गुरदीप कौर और उनकी दोनों पुत्रियों का अधिकार है, को खाली कर देवें। **अप्रार्थी बलकार सिंह को आदेशित किया जाता है कि वह आदेश दिनांक के 01 माह के भीतर-भीतर विवादित मकान चक 8 वाई मोहनपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर का अपने हक का एक चौथाई हिस्से को छोड़कर शेष तीन चौथाई हिस्सा को खाली कर देवें।** अप्रार्थीगण का प्रार्थिया के भरण पोषण का नैतिक दायित्व है, इसलिए अप्रार्थीगण प्रार्थिया के सामान्य जीवन निर्वाह में कोई बाधा उत्पन्न न करें तथा प्रार्थिया को तंग एवं परेशान करने से निषेध रहे।

अतः उक्त विवेचन एवं कानूनी प्रावधानों के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं। **अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर का रिकार्ड मय आदेश की प्रति सहित पालना के लिए वापिस लौटाया जावे। आदेश की एक एक प्रति अपीलार्थी व रेस्पोंडेन्ट को भी भेजी जावे।** पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश की प्रति तहसीलदार, एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर तथा थानाधिकारी, पुलिस थाना [illegible] श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

यह आदेश आज दिनांक [illegible] को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रुक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:25:41 IST
Reason: SelfAttested